संख्या– / XVIII(II) / 2020–18(09) / 2014

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 23 जून, 2020

विषय– जनपद चमोली की तहसील जोशीमठ अन्तर्गत ग्राम माणा (बद्रीनाथ) में केन्द्रीय जल आयोग के कार्यालय भवन की स्थापना हेतु सःशुल्क आवंटित कुल–0.020 है0 भूमि को विनिर्दिष्ट प्रयोजन को पूर्ण किये जाने हेतु समय–विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक एक्जुकेटिव इंजीनियर, एच0जी0डी0, भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, जन संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय जल आयोग, हिमालयी गंगा मंडल, देहरादून के पत्र संख्या–03 / 37 / GGD / 2015 / 2330–32, दिनांक 19–05–2020 **(छायाप्रति संलग्न)** का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उल्लेख किया गया है कि जिलाधिकारी, चमोली के पत्र दिनांक 20 मार्च, 2020 द्वारा शासनादेश संख्या–999 / XVIII(II) / 2020–18(09) / 2014–18(09) / 2014, दिनांक 16 जुलाई, 2014 की शर्त सं0–2 के अनुसार जल शक्ति मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार द्वारा उक्त भूमि का उपयोग आवंटन की तिथि से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण न करने के कारण उक्त स्वीकृति स्वतः निरस्त होने तथा इस सम्बन्ध में शासन स्तर से कोई निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में जल शक्ति मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार को सूचित किया गया है।

2– उपरोक्त के कम में जल शक्ति मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार द्वारा उक्त पत्र दिनांक 19–05–2020 के माध्यम से भूमि के उपयोग हेतु उचित दिशा–निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

3– उक्त के कम में शासन स्तर पर लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–999 / XVIII(II) / 2020–18(09) / 2014–18(09) / 2014, दिनांक 16 जुलाई, 2014 की शर्त सं0–2 में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त भूमि का भू–उपयोग विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु समयावधि इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 02 वर्ष के लिए बढायी जाती है। उक्त अवधि के पश्चात निर्धारित कार्य / प्रयोजन पूर्ण नहीं किये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी तथा शासनादेश दिनांक 16 जुलाई, 2014 की अन्य शर्तें / प्रतिबन्ध यथावत मान्य होगें।

.....2

4– अतः इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही एवं इस आदेश के अनुपालन की स्थिति से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या– 367(1)/XVIII(II)/2020, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
4– अधीक्षण अभियन्ता, भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, जन संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय जल आयोग, हिमालयी गंगा मंडल, देहरादून।
5– अधिशासी अभियन्ता, एच0जी0डी0, भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, जन संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय जल आयोग, हिमालयी गंगा मंडल, देहरादून।
6– निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।